



दिनांक: 22.01.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा आपराधिक षड्यन्त्र करके अपहरण करने के अभियोग मे 03 वान्छित अभियुक्त गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 14.01.2026 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त गण 1. अय्यूब पुत्र शब्बीर 2. उस्मान पुत्र अय्यूब 3. इमराना पत्नी अय्यूब निर्गण दूधगढ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर द्वारा आपराधिक षड्यन्त्र कर वादी की बहन को अभियुक्त जीशान उर्फ शाहरुख पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम दुमझेडा के साथ भगा देना तथा शिकायत करने पर गाली गलौच कर धमकी देने के सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु00300 19/2026 धारा 137(2), 87, 352, 351(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिसमे विवेचना के क्रम मे धारा 142, 61(2) बीएनएस व अभियुक्त निजरान पुत्र दिलशाद उर्फ मुन्ना निवासी ग्राम दुमझेडा के नाम की वृद्धि की गयी ।

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी एव अपहता/पीडिता की बरामदगी हेतु आदेशित किया गया । आदेश के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व मे थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मुख्य बिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त मे वान्छित अभियुक्त 1. अय्यूब पुत्र शब्बीर 2. उस्मान पुत्र अय्यूब निवासीगण ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर 3. निजरान पुत्र दिलशाद उर्फ मुन्ना निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को दिनांक 22.01.2026 को दूधगढ से पठेड जाने वाले रास्ते पर स्थित कूडेदान के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त गण को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. अय्यूब पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. उस्मान पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. निजरान पुत्र दिलशाद उर्फ मुन्ना निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:

- 1- थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
- 2- उनिर्गण श्री चन्द्रपाल सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
- 3- है0का0 517 वतन पंवार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
- 4- है0का0 799 मोहित शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
- 5- का0 2267 विष्णु कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



दिनांक: 22.01.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार कब्जे से 01 विद्धुत मोटर, 2 कि.ग्रा तांबे का तार, 01 टुल्लू पम्प, 01 हथोडा, 10 छोटी/बड़ी रिंच, 01 कटर, 01 छेनी, 01 हत्थी जेनरेटर, 01 पेचकस 01 मो0सा0 एचएस डिलेक्स व 3200/- रुपये नगद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 10.12.2025 को श्री शुभेन्दु सिंह पुण्डीर पुत्र प्रदीप पुण्डीर निवासी लखनौती खुर्द थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर द्वारा सूचना दी गयी कि उसके मकान से अज्ञात चोरों द्वारा अल्टीनेटर व टुल्लू पम्प चोरी कर लिया गया है, जिस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0 646/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद सहारनपुर द्वारा घटित घटना का अनावरण व घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था, उक्त घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक नगर महोदय एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.01.2026 को थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा उक्त घटना को संलिप्त अभियुक्त भूरा उर्फ मोहतसीन पुत्र इदरीश निवासी ग्राम सलेमपुर भूखड़ी थाना को0 देहात जपनद सहारनपुर एक अदद ट्यूबेल की विद्धुत मोटर व लगभग 2 किलो तांबे का तार, एक प्लास्टिक की टुल्लू पम्प, एक हथोडा व 10 छोटी/बड़ी पाईप रिंच, 01 कटर, 01 छेनी बड़ी, 01 हत्थी जेनरेटर, 01 पेचकस, 01 मो0सा0 यूपी 11 एक्स 2569 एचएस डिलेक्स व 3200/- रुपये नगद के साथ जंगल ग्राम सलेमपुर भूखड़ी से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बी.एन.एस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुए अन्य सामान के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0 29/2026 धारा 317(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पता:-

► भूरा उर्फ मोहतसीन पुत्र इदरीश निवासी ग्राम सलेमपुर भूखड़ी थाना कोतवाली देहात जपनद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 चोरी की ट्यूबेल की विद्धुत मोटर
- 02 किलो चोरी तांबे का तार
- 01 चोरी का प्लास्टिक की टुल्लू पम्प
- चोरी करने के सामान 01 हथोडा व 10 छोटी/बड़ी पाईप रिंच, 01 कटर, 01 छेनी बड़ी, 01 हत्थी जेनरेटर, 01 पेचकस
- 01 मोटर साईकिल यूपी 11 एक्स 2569 एचएस डिलेक्स
- 3200/- रुपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राजकुमार सिंह थाना कोतवली देहात जनपद सहारनपुर ।
3. उ0नि0 श्री सुदेश पाल थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर ।
4. है0का0 1236 अमित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर ।
5. का0 2445 जयकिशन थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
6. का0 1932 बिजेन्द्र सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।



दिनांक 22.01.2026

थाना नकुड़ साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा साइबर फ्रॉड मे ठगी गयी **शत-प्रतिशत 46250/- रुपये** की धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

घटना का विवरण:-

दिनांक 15.11.2025 को पीडित अंकित पुत्र शिव कुमार निवासी ग्राम जैनपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर द्वारा अपने फोन से UPI के माध्यम से कुल 46250/- रुपये निकल जाने की सूचना पर थाना नकुड़ साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा NCRP PORTAL पर शिकायत सं 033111250163099 दर्ज की गयी थी।

पुलिस कार्यवाही:-

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नुकड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा शिकायत संख्या 33111250163099 में तुरन्त प्रभावी कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित बैंकों से सम्पर्क कर पीडित की धनराशी होल्ड करायी गयी थी। इसी क्रम में थाना नकुड़ साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा उपरोक्त साइबर शिकायत संख्या में प्रभावी कार्यवाही करते कुल 46250/- रुपये की शतप्रतिशत धनराशि पीडित को वापस करायी गयी।

धनराशि वापस कराने वाली साइबर हेल्पडेस्क पुलिस टीम:-

- प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
- कम्प्यूटर आपरेटर हर्षित कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
- म 0कां 0 195 सोनम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजों से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।



दिनांक- 22.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना साइबर क्राइम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गयी शत-प्रतिशत 95,553/- रुपये की धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

घटना का विवरण:-

आवेदिका वैशाली चौधरी पुत्री सुधीर चौधरी निवासी सरसावा, सहारनपुर द्वारा दिनांक 12.11.25 को थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर उपस्थित आकर एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया जिसके अनुसार अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदिका के खाते से ऑनलाइन धोखाधड़ी कर रु0 95,553/- निकाल लिये गये थे। जिसके सम्बन्ध में आवेदिका द्वारा ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करायी गयी थी।

पुलिस कार्यवाही:-

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) एवं क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रेश सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदिका वैशाली चौधरी पुत्री सुधीर चौधरी उपरोक्त की साइबर फ्रॉड के माध्यम से ठगी गयी शत-प्रतिशत 95,553/- रुपये की धनराशि पीडित के खाते में वापस करायी गयी। पीडित द्वारा धनराशि खाते में वापस पाकर सहारनपुर पुलिस व थाना साइबर क्राइम पुलिस का आभार प्रकट किया गया।

धनराशि वापस कराने वाली पुलिस टीम:-

- प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रेश सिंह, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
- निरीक्षक श्री देवेन्द्र कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
- उ0नि0 श्री पीयूष कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
- है०का० 907 नितिन शर्मा, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
- है०का० 712 निशान्त तोमर, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
- है०का० 437 मनोज कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
- म0है०का 189 रुचि शर्मा, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजों से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।



दिनांक: 22.01.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया 01 गैस टंकी का कार्बेट रखने का डिब्बा, 2000/- रुपये नकद व घटना मे प्रयुक्त 01 ई- रिक्शा बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 16.01.2026 को वादी श्री दमन सिंह पुत्र नव्वू नि0 ग्राम चौरा थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा उसकी दुकान के बाहर से गैस वैल्डिंग की टंकी व टंकी रखने का कार्बेट का डिब्बा चोरी होने के सम्बन्ध मे थाना नानौता पर तहरीर दी थी जिस पर थाना नानौता पर मु030सं0 13/26 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया तथा अज्ञात चोर की तलाश की जा रही थी।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नवीन कुमार सैनी के कुशल नेतृत्व में थाना नानौता पुलिस द्वारा मु030सं0 13/26 धारा 303(2) बीएनएस की घटना का सफल अनावरण करते हुए दिनांक 21.01.2026 की रात्रि मे थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा 03 शातिर चोर 1. दीपक पुत्र सुरेश निवासी हसनपुर चुंगी थाना सदरबाजार जनपद सहारनपुर 2. सचिन पुत्र यशपाल सिंह निवासी हसनपुर चुंगी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर 3. अमन पुत्र राजेश निवासी हसनपुर चुंगी थाना सदरबाजार जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 गैस टंकी का कार्बेट रखने का डिब्बा व घटना मे प्रयुक्त ई रिक्शा तथा थाना रामपुर मनिहारन क्षेत्रान्तर्गत चोरी की घटना का सामान बेचकर प्राप्त किये गये 2000/- रुपये बरामद किये गये। अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग मे विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि ने पूछने पर बताया कि हमने कुछ दिन पहले देवबन्द रोड से एक दुकान के सामने से गैस की टंकी व उसके पास रखी टंकी का कार्बेट रखने का डिब्बा चोरी किया था। हम टंकी व सामान चोरी इसी ई रिक्शा मे रखकर ले गये थे। हमने गैस की टंकी को राह चलते व्यक्ति को बेच दी थी तथा रुपये आपस मे बराबर बराबर बाँटकर खर्च कर दिये हैं। आज भी हम तीनों चोरी करने व गैस की टंकी के शेष सामान को बेचने की फिराक मे थे तथा करीब एक माह पूर्व हमने रात्रि मे प्राईमरी स्कूल पिलखनी गाँव से वर्षा मापिक यंत्र के पोल से एक छोटी बैटरी चोरी की थी तथा एक चोरी हमने करीब दो माह पूर्व बडगाँव रोड फाटक पार कस्बा रामपुर से रात्रि मे 04 बैटरा एक छोटी बैट्री तीन इन्वर्टर व गल्ले से 3000 रुपये चोरी किये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. दीपक पुत्र सुरेश निवासी हसनपुर चुंगी थाना सदरबाजार जनपद सहारनपुर
2. सचिन पुत्र यशपाल सिंह निवासी हसनपुर चुंगी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. अमन पुत्र राजेश निवासी हसनपुर चुंगी थाना सदरबाजार जनपद सहारनपुर

अभियुक्त दीपक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु030सं0 210/24 धारा 379 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
2. मु030सं0 633/25धारा 303(2) बीएनएस थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
3. मु030सं0 577/25 धारा 305(ए)/331(4) बीएसएस थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
4. मु030सं0 13/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नानौता सहारनपुर

अभियुक्त अमन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु030सं0 530/24 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएसएस थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

- मु030सं0 633/25धारा 303(2) बीएनएस थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
- मु030सं0 577/25 धारा 305(ए)/331(4) बीएसएस थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
- 4.मु030सं0 13/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नानौता सहारनपुर

अभियुक्त सचिन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- मु030सं0 633/25धारा 303(2) बीएनएस थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
- मु030सं0 577/25 धारा 305(ए)/331(4) बीएसएस थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
- 3.मु030सं0 13/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नानौता सहारनपुर

ब्रामदगी का विवरण:-

- 01 गैस टंकी का कार्बेट रखने का डिब्बा
- 01 ई- रिक्षा घटना मे प्रयुक्त
- 1000/- रुपये (सम्बन्धित मु030सं0 633/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
- 1000/- रुपये (सम्बन्धित मु030सं0 577/25 धारा 305(ए)/331(4) बीएसएस थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- प्रभारी निरीक्षक श्री नवीन कुमार सैनी थाना नानौता सहारनपुर
- उ0नि0 श्री जसपाल सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
- है0का0 820 अनुज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
- है0का0 1315 राहुल थाना नानौता जनपद सहारनपुर
- है0का0 823 नीरज थाना नानौता जनपद सहारनपुर
- है0का0 205 विपिन थाना नानौता जनपद सहारनपुर



दिनांक- 22.01.2026

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा

तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 441 ग्राम चरस बरामद

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन सवेरा” के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 21.01.2026 को मुख्यिक विधिक विभागों की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त शिवकुमार पुत्र त्रिलोकी निवाली ग्राम हरपाली थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर को ग्राम उनाली की तरफ कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 441 ग्राम चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 36/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

शिवकुमार पुत्र त्रिलोकी निवासी ग्राम हरपाली थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

बरामदगी-

➤ 441 ग्राम चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 श्री भुपेश शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
- है0का0 559 सन्नी राणा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
- है0का0 960 सचिन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
- का0 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
- है0का0 250 कविन्द्र ढाका थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर



दिनांक-22.01.2026

-प्रेस नोट-

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-04 जनपद सहारनपुर द्वारा 02 अभियुक्तों को लूट व हत्या के अभियोग में दोषी पाते हुए सशम आजीवन कारावास व 95 हजार रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई:-

अवगत कराना है, कि दिनांक 02.02.2013 को वादी मुस्तकीम पुत्र यासीन निवासी ग्राम माटकी थाना बेहट जनपद सहारनपुर के पुत्र वसीम को अभियुक्तगण 1. सद्वाम पुत्र सब्बीर 2. अजहर पुत्र जमील द्वारा वादी के लड़के के सिर में तमचे से गोली मारकर एवं गला रेतकर हत्या करना तथा दुकान से नगद 02 लाख रु0 लूटकर ले जाने की सूचना पर मु030सं0-25/2013, धारा 302,394,411 भादवि थाना कोतवाली नगर पंजीकृत किया गया। अभियुक्त 1.सद्वाम पुत्र सब्बीर नि0 नूरबस्ती थाना को0नगर जनपद सहारनपुर के कब्जे से तमचा मय कारतूस जिन्दा (आला कत्ल) बरामद होने पर मु030सं0-44/2013 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली नगर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग क्रमशः एसटी नं0-624/2014 व 625/2014 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-4 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहे।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-4 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 22.01.2026 को अभियुक्तगण 1.सद्वाम पुत्र सब्बीर 2.अजहर पुत्र जमील निवासीगण नूरबस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर को थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु030सं0-25/2013 धारा 302,394 भादवि व मु030सं0-44/2013 धारा 3/25 आर्मस एक्ट का दोषी पाते हुए सशम आजीवन कारावास व 95 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता- ए0डी0जी0सी0 श्री राजवीर सिंह

विवेचक- क्षेत्राधिकारी श्री चमन सिंह चावडा

पैरोकार- है0का0 1091 हिमांशु थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर